

Received
Today 27/02/2025 कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: 744 / जि०यो०-7 / प्र०वि०स्वी० / 2024-25 दिनांक: 21 फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 01/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 के क्रम में जनपद का परिषद का परिषद निर्धारित कर एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के क्रम में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या-07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रू०, अनुदान संख्या-30 एस०सी०पी० हेतु 1712.40 लाख रू० तथा अनुदान संख्या - 31 टी०एस०पी० हेतु 425.70 लाख रू० इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रू० अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखा गया है।

राजकीय सिंचाई धारचूला विभाग का जि०यो० 2024-25 हेतु अनुमोदित परिषद रू० 125.00 लाख के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला को प्रथम किस्त हेतु कुल 79.50 लाख रू० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृत कार्यालय पत्रांक 206/29.07.2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अधिशासी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला द्वारा द्वितीय किस्त हेतु धनराशि 45.50 लाख रू० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है - (धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	मद/कार्य का नाम/सं०	2024-25 हेतु अनुमोदित परिषद				प्रथम किस्त हेतु निर्गत धनराशि	द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की मांग			
		सा०	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	कुल योग		सा०	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	कुल योग
1	नहर निर्माण/जीर्णोद्धार के कार्य/ 12 सं०	40.77	4.00	-	44.77	20.57	15.00	0.00	0.00	15.00
2	बाढ़ सुरक्षा/कटाव निरोधक कार्य/ 20 सं०	31.08	21.00	25.00	77.08	55.78	6.50	21.00	3.00	30.50
3	उपखण्डीय कार्यालय धारचूला एवं कनिष्ठ अभियन्ता आवास के पुनरोद्धार कार्य/ 01 सं०	3.15	-	-	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	75.00	25.00	25.00	125.00	79.50	21.50	21.00	3.00	45.50

कार्यो का विवरण -

क्र०सं०	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	कार्य के टैण्डर की धनराशि	कार्य में 2023-24 तक प्राप्त धनराशि	कार्य में 2023-24 तक व्यय धनराशि	वर्ष 2024-25 में अनुमोदित धनराशि	वर्ष 2024-25 में प्रथम किस्त हेतु प्राप्त धनराशि	वर्ष 2024-25 में द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की मांग	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण एवं धनराशि मांग का औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत चालू योजनाएं :-									
1	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत गोगई नहर के जीर्णोद्धार की योजना। (सामान्य)	22.05	22.05	17.05	17.05	1.30	1.30		कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
2	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड धारचूला के अन्तर्गत उपखण्डीय कार्यालय धारचूला एवं कनिष्ठ अभियन्ता आवास के पुनरोद्धार एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के निर्माण की योजना। (सामान्य)	26.50	24.90	21.75	21.75	3.15	3.15		पत्रांक..... 217 दिनांक..... 25/02/25 फाईल..... सिंचाई खण्ड, धारचूला
वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-									
3	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत खुमती नहर के जीर्णोद्धार की योजना। (सामान्य)	18.00	18.00	8.23	8.23	6.77	6.77	-	-
4	विकासखण्ड धारचूला में ऐलागाड नाले के दाहिने पार्श्व पर स्थित ग्राम पवायत जुम्मा तोक रोडा पणम-जैला की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	12.00	7.25	7.25	4.75	4.75	-	-
5	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत माजकोट नहर के जीर्णोद्धार की योजना। (सामान्य)	15.00	11.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
6	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम धारचूला में टीखाको नाले में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	10.00	10.00	7.00	7.00	3.00	3.00	-	-
7	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम जोशा के तोक सुखियाथीर में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	15.00	15.00	7.00	7.00	7.00	7.00	-	-
8	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम तौतिक में गुरमा सेली में भवनी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य। (टी०एस०पी०)	15.00	15.00	12.00	12.00	3.00	3.00	-	-
9	विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम तल्ला धोरपट्टा के पास मलखोल्ता नाले में बाढ़ सुरक्षा कार्य। (टी०एस०पी०)	15.00	15.00	10.50	10.50	4.50	4.50	-	-

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-

10	विकासखण्ड धारचूला में बलुवाकोट करबे के गुईया गाड में तोक जौलाड के मकानों एवं कृषि भूमि की नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	10.00	8.50	2.50	2.50	5.70	5.70	-	-
11	विकासखण्ड मुनस्यारी के ग्राम रिगु में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	7.00	2.50	2.50	4.00	4.00	-	-
12	विकासखण्ड मुनस्यारी के ग्राम क्वीटी के तोक मुकरूम में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	7.00	7.00	2.70	2.70	4.30	4.30	-	-
13	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम फिलम में कटाव निरोधक कार्य। (टी0एस0पी0)	10.00	9.00	7.00	7.00	2.00	2.00	-	-
14	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम गो में कटाव निरोधक कार्य। (टी0एस0पी0)	12.00	12.00	6.50	6.50	4.50	4.50	-	-
15	विकासखण्ड मुनस्यारी के ग्राम चतुकोट के तल्ला घोरपट्टा में कटाव निरोधक कार्य। (टी0एस0पी0)	12.00	6.00	4.00	4.00	2.00	2.00	-	-
16	विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम सरमोली के तोक नया बस्ती तल्ला में आवासीय भवनों के पास भालूखोल्टा नाले में कटाव निरोधक कार्य। (टी0एस0पी0)	12.00	7.00	5.00	5.00	2.00	2.00	-	-

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-

17	विकास खण्ड धारचूला में बलुवाकोट के घेर में कटाव निरोधक कार्य। (सामान्य)	12.00	6.00	3.00	3.00	2.50	2.50	-	-
18	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम चल में थोवा नाले में सुखात्मक कार्य। (सामान्य)	10.00	6.00	3.00	3.00	2.53	2.53	-	-
19	विकासखण्ड धारचूला में लिणुवा नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य (सामान्य)	7.00	7.00	3.00	3.00	4.00	4.00	-	-
20	विकासखण्ड धारचूला में ग्राम बरम नहर के क्षतिग्रस्त भागों का मरम्मत कार्य (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	12.00	12.00	8.00	8.00	4.00	4.00	-	-
21	विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम टिमटिया में ओसना गधेरे में कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-31 टी0एस0पी0)	10.00	10.00	3.89	3.89	4.00	4.00	-	-

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत योजनाएं :-

22	विकासखण्ड मुनस्यारी में सेविना नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (सामान्य)	10.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।
23	विकासखण्ड धारचूला में बन्दरखेत नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	12.50	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।
24	विकासखण्ड धारचूला में दुंगातोली नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य। (सामान्य)	15.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।
25	विकासखण्ड धारचूला में पंथागांव नहर के मरम्मत एवं विस्तारीकरण का कार्य। (सामान्य)	14.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत एवं नहर के विस्तारीकरण का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।
26	विकास खण्ड धारचूला में ग्राम रांथी के तोक जलघर में बाढ सुखात्मक कार्य। (सामान्य)	15.00	-	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।
27	विकास खण्ड धारचूला में ग्राम बलुवाकोट के बोरगांव में सुखात्मक कार्य। (सामान्य)	9.80	-	-	-	3.50	-	3.50	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।
28	विकासखण्ड मुनस्यारी में क्वीटी नहर के जीर्णोद्धार का कार्य। (सामान्य)	14.00	-	-	-	3.00	-	3.00	नहर के क्षतिग्रस्त भागों के मरम्मत का कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।
29	विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम दर्शती में सुखात्मक/नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	15.00	-	-	-	7.00	-	7.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।
30	विकासखण्ड मुनस्यारी में ग्राम जैती में सुखात्मक/नाली निर्माण का कार्य। (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	12.00	-	-	-	5.00	-	5.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।
31	विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सिमलथड की भुजगढ नदी से कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	10.00	-	-	-	3.00	-	3.00	ग्रामवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु धनावटन आपेक्षित है।

32	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम बरम के तोक गर्जल की छातीगाड से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	9.80	-	-	3.00	-	3.00	ग्रमवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु घनावटन आपेक्षित है।
33	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुनरसारी में उमली में कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-30 एस0सी0पी0)	8.00	-	-	3.00	-	3.00	ग्रमवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु घनावटन आपेक्षित है।
34	विकासखण्ड मुनरसारी के अन्तर्गत ग्राम टिमटिया के तोक तल्ता टिमटिया की रामगंगा नदी से कटाव निरोधक कार्य। (अनुदान संख्या-31 टी0एस0पी0)	10.00	-	-	3.00	-	3.00	ग्रमवासियों के जान-माल एवं कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए कार्य किया जायेगा, कार्य कराने हेतु घनावटन आपेक्षित है।
	योग	429.65	240.45	148.37	148.37	125.00	79.50	45.50

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2024-25 के उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा0यो0आ0, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रू0 45.50 लाख (पैंतालीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2- उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्याधिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4- जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे एवं तत्पश्चात ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया मे अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 8- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- 9- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 10- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूँजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 11- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।
- 12- उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्चूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।
- 13- जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- 15- स्वीकृत की जा रही धनराशि एच0ओ0डी0 कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।
- 16- स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 17- जिन कार्यों को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यों में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की जाती है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
- 18- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये है।
- 19- उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।



20- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।

21- अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 के बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।

22- अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता, राजकीय सिंचाई धारचूला की होगी।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

संख्या: जि०यो०-7/प्र०वि०स्वी०/2024-25, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता राजकीय सिंचाई धारचूला।
2. कोषाधिकारी, धारचूला जनपद- पिथौरागढ़।
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
4. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
6. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त, कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून।
8. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।